

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 12 - 12 - 2025

कार्यालय - बृजमोहन अग्रवाल, संसद सदस्य, रायपुर, लोकसभा

प्रदेश के मेडिकल सेंटर्स द्वारा दवा डिस्पोज़ल के लिए सख्त नेशनल प्रोटोकॉल की ज़रूरत : बृजमोहन

- हम कांकर जैसी घटना दोबारा नहीं होने दे सकते, जहां जली हुई एक्सपायर दवाओं के जहरीले धुएं से आठ छात्र बीमार पड़ गए थे: सांसद अग्रवाल

नई दिल्ली, 12 दिसंबर, 2025 – लोकसभा में रायपुर के MP अग्रवाल ने कांकर ज़िले के एक सब-हेल्थ सेंटर में लापरवाही के एक मामले की ओर सदन का ध्यान दिलाया। सेंटर ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं का स्टॉक जला दिया, जिससे जहरीला धुआं पास के क्लासरूम में फैल गया। नतीजतन, धुएं की वजह से कई स्कूली बच्चों को चक्कर आने और सांस लेने में दिक्कत हुई। यह घटना आस-पास के जिलों और पूरे राज्य के लिए गलत वेस्ट मैनेजमेंट के खतरों के बारे में एक कड़ी चेतावनी है।

अग्रवाल ने सदन में कहा कि एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को रेगुलर तौर पर सीवेज सिस्टम, खेती की ज़मीन और खुले गड्ढों में फेंक दिया जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरीके से जहरीले केमिकल निकलते हैं, जो मिट्टी और ग्राउंडवाटर दोनों को बुरी तरह से गंदा एवं प्रदूषित करते हैं।

"हम अक्सर एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को खुले गड्ढों या सीवेज में फेंका हुआ देखते हैं, जो हमारे रिसोर्स को जहरीला बना रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से CDSCO गाइडलाइंस और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के तहत पूरे देश में खास निर्देश जारी करने की अपील करता हूं। यह ज़रूरी है कि सभी संबंधित अधिकारी और हेल्थ वर्कर इस डिस्पोज़ल को सही तरीके से करने के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग लें।" - **बृजमोहन अग्रवाल**

कांकर जैसी दुखद घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए, श्री अग्रवाल ने एक मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया:

- **खास सुविधाएं:** उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि देश के हर जिले में एक्सपायर हो चुकी दवाओं को सुरक्षित रूप से डिस्पोज़ करने के लिए खास इंफ्रास्ट्रक्चर हो।
- **शर्तों पर मंजूरी:** नए अस्पतालों को मंजूरी सिर्फ़ इस शर्त पर दी जाए कि उनके पास आम मेडिकल कचरे के साथ-साथ दवाओं को डिस्पोज़ करने की सुविधाएं हों।
- **मॉनिटरिंग:** उन्होंने इन नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं, इस पर नज़र रखने के लिए एक ज़रूरी जिला-स्तर का कम्प्लायंस फ़ॉर्म शुरू करने की मांग की।

इस पार्लियामेंट्री दखल का मकसद जवाबदेही लागू करना और यह पक्का करना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही से बच्चों की हेल्थ और एनवायरनमेंट की शुद्धता से कोई समझौता न हो। फार्मास्यूटिकल वेस्ट का गलत तरीके से डिस्पोज़ल एक बढ़ती हुई चिंता है। कांकर की घटना के बाद, पब्लिक सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन पक्का करने के लिए छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में सावधानी बरतने की ज़रूरत है।

11.12.2025

नियम 377 के अधीन सूचना

छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले के उप स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायरी दवा जलाने के बाद जलते हुए स्टॉक का धुआँ कक्षाओं में घुस गया, जिससे कई बच्चों ने साँस लेने में दिक्कत और चक्कर आने की शिकायत की। अमूमन एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को अक्सर सीवेज सिस्टम, खेती की ज़मीन और खुले गड्ढों में डाल दिया जाता है, जिससे ज़हरीले केमिकल निकलते हैं जो ग्राउंड-वाटर और मिट्टी को बुरी तरह से प्रदूषित कर देते हैं। इसके सन्दर्भ में मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन (CDSCO) की गाइडलाइंस और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के अंतर्गत दवाइयों के लिए भी डिस्पोज़ करने के बारे में अलग से पूरे देश में निर्देश जारी करते हुए सभी सम्बंधित अधिकारीयों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को अनिवार्य ट्रेनिंग दी जाए। मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूँ कि देश के सभी ज़िलों में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को डिस्पोज़ किया जा सके। नए अस्पतालों के लिए मंजूरी इस शर्त पर की जाए कि मेडिकल वेस्ट के साथ - साथ दवाइयों के डिस्पोज़ल की सुविधाएँ भी वहीं मौजूद हों और जिला स्तर पर एक अनिवार्य कम्प्लायंस फ़ॉर्म हो, जिससे नियमों के अनुपालन को मॉनिटर किया जा सके।

बृजमोहन अग्रवाल
भाजपा
विभाजन संख्या.-157